

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर
पीठासीन अधिकारी - सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)


दाया संख्या 189/2021

गीता देवी पत्नी मोटाराम जाति कुमावत निवासीनी पलासरा तहसील व जिला सीकर

-बादिया-

बनाम

- 1- कृष्ण कुमार
- 2- नृसिंह कुमार
- 3- प्रदीप कुमार
- 4- राजकुमार
- 5- रामावतार पुत्रगण मोहनलाल
- 6- लक्ष्मी पुत्री मोहनलाल
- 7- श्यामसुन्दर पुत्र मोहनलाल
- 8- सीताराम पुत्र मोहनलाल समस्त जाति महाजन निवासीगण पलासरा तहसील व जिला सीकर
- 9- गिगराज पुत्र कानाराम
- 10-तेजाराम पुत्र कानाराम
- 11-नानची देवी पत्नी गीगराज
- 12-शंकरलाल पुत्र कानाराम
- 13-पतासी पत्नी स्व० घासीराम
- 14-अमरसिंह
- 15-माडूराम
- 16-सुनिल कुमार पुत्रगण स्व० घासीराम
- 17-सजना
- 18-तारा पुत्रियां स्व० घासीराम
- 19-संतोष पत्नी भंवरलाल पुत्र स्व० घासीराम
- 20-संजू
- 21-डिम्पल
- 22-गुड्डी पुत्रियां भंवरलाल पुत्र स्व० घासीराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बराल तहसील व जिला सीकर




- 23-सिंडीकेट बैंक शाखा सांगरवा जिला सीकर जरिये प्रबंधक
 24-बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा श्यामगढ जिला सीकर जरिये प्रबंधक
 25-एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा सीकर जिला सीकर जरिये प्रबंधक
 26-तहसीलदार सीकर

— प्रतिवादीगण—

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ/ 2022/2755 दिनांक 14.06.2022 के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार इसी अनुसार अमल दरामद व तरमीम करें।


(गरिमा लोटा)


उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख

को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई


उपखण्ड अधिकारी सीकर